डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. राधे पुत्र तोलू जाति कोली निवासी बाईजट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली –मृतक

1/1. भूरसिंह | पिसरान राधे जाति कोली निवासी बाईजट्ट तहसील हिण्डौन

1/2. तेजराम | जिला करौली राजस्थान

1/3. केदार |

1/4. मु0 ललिता पुत्री राधे पत्नि हुकम जाति कोली निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

1/5. मु0 विशाखा पुत्री राधे पत्नि अशोक जाति कोली निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

1/6. मु0 तीजो बेबा राधे जाति कोली निवासी बाईजट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन
3. ग्राम पंचायत बाईजट्ट जरिये सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत बाईजट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक, **मुकदमा नं0 161/2010**

(दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू ..... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0, 924 रकबा 3.14 है0 वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/08/25 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 5/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 161/2010 तारीख रजू:– 20.12.2010

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. राधे पुत्र तोलू जाति कोली निवासी बाईजट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली –मृतक

1/1. भूरसिंह
1/2. तेजराम
1/3. केदार

पिसरान राधे जाति कोली निवासी बाईजट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

1/4. मु0 ललिता पुत्री राधे पत्नि हुकम जाति कोली निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

1/5. मु0 विशाखा पुत्री राधे पत्नि अशोक जाति कोली निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

1/6. मु0 तीजो बेबा राधे जाति कोली निवासी बाईजट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन
3. ग्राम पंचायत बाईजट्ट जरिये सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत बाईजट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीया

निर्णय

दिनांक :– 05/08/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01

में दर्ज किया है कि साबिक आराजी साबिक ख0नं0 469 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन वादी को भूमिहीन कृषक व अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति होने के कारण राष्ट्रीय भू– आवंटन अभियान के तहत दिनांक 21.10.75 को आंवटित की गयी थी। मौके पर नाप कर 5 बीघा पर कब्जा दियागया था। वादी ने अपने कब्जाशुदा आराजी को एक जगह पर एक चौकोर खेत था और जमीन ऊँची नीची थी उसे बडी मेहनत के बल पर समतल किया था तथा चारों तरफ डोल मेड कर उपजाऊ व काबिल काश्त बनाया है और दायरी आवंटन से आज तक वादीगण उसी स्थान पर लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं और वह क्रम आज भी बदस्तूर है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि दौराने सेटिलमेन्ट सरकारी कर्मचारियों द्वारा वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 469 मिन रकबा 5 बीघा के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0 बनाया है, मगर उसका रकबा 5 बीघा यानि 1.25 है0 के स्थान पर महज 93 एयर तरमीम किया है, जबकि वादीगण मौके पर पूर्वानुसार 5 बीघा यानि 125 एयर पर काबिज व दखील हैं। इस प्रकार सेटिलमेन्ट द्वारा तैयार किया गया मौजूदा रिकार्ड वादीगण एवनिशियो बोईड व प्रभावहीन वादीगण है। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी की आराजी साबिक व मौजूदा के पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण में सरकारी जमीन है, इसलिए वादीगण की जमीन का रकबा वादीगण की खातेदारी में कम दर्शाकर सरकारी जमीन में बढा दिया है। इसलिए वादीगण को मौजूदा रिकार्ड में 125 एयर के स्थान पर 83 एयर दर्शाए रकबा को मौके पर कब्जा काश्त के मुताविक 42 एयर रकबा बढाया जाकर 125 एयर वादीगण की खातेदारी में तरमीम फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वादीगण को सेटिलमेन्ट द्वारा की गयी उक्त गलती बाबत् सर्वप्रथम जानकारी जरिये हल्का पटवारी दिनांक 16.01.2001 को होने पर नकलें आदि लेकर अपने वकील से सरकार को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 22.01.2001 को दिलवा दिया है। मगर उसके बावजूद भी आज तक प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है।

वाद पत्र के मद नं0 4 ऐ में दर्ज किया है कि वादी का देवयोग से दिनांक 20. 07.2008 को स्वर्गवास हो गया है। वादी सं0 1/1 लगायत 1/6 मृतक के तर्के पर काबिज हैं।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादी दिनांक 20.08.2001 को प्रतिवादी नं02 से मिला और वादीगण की आराजीयात के रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की गुहार की तो

प्रतिवादी सं02 द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती बाबत् साफ इंकार कर दिया और कहा कि या तो आप सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लो नहीं तो मौजूदा रिकार्ड से ज्यादा कब्जे से बेदखल कर दूंगा। इसलिए अगर प्रतिवादी नं02 द्वारा वादीगणको बेदखल कर दिया याअन्य कोई कार्यवाही बाबत् धारा 91 राज.ले.रे.एक्ट कर दी, तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना सम्भव नहीं है। इसलिए वाद दायर करना लाजिमी हुआ है।

वाद पत्र के मद नं 06 में दर्ज किया है कि विनाय दाा दिनांक 20.08.2001 को प्रतिवादी नं02 द्वारा वादीगण का रिकार्ड दुरूस्त करने की मना करने पर तथा मौजूदा रिकार्ड से ज्यादा कब्जे से वे ज्यादा जमीन से बेदखल करने की धमकी देने से बमुकान ग्राम बाईजट्ट इस अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं 10 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश किया गया है।

वाद पत्र के मद नं 11 क में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी साबिक ख0नं0 469 मिन रकबा 5 बीघा के बराबर मौजूदा खसरा नम्बर 921 रकबा 83 एयर के स्थान पर 125 एयर का खातेदार काश्तकार है। वादीगण का कम किया गया रकबा 42 एयर खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 से कम किया जाकर वादीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 921 रकबा 1.25 है0 कायम किया जावे।

वाद पत्र के मद नं 11 ख में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं0 2 डिक्री फरमाया जाकर जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को साबिक खसरा नम्बर 469 मिन रकबा 5 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 921 रकबा 83 एयर के स्थान पर 125 एयर पर काबिज रहने दिया जावे उसे बेदखल नहीं किया जावे तथा धारा 91 रा.ले.रे.एक्ट की कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर तहसीलदार हिण्डौन ने जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं. 1 वाद पत्र मुताविक रिकार्ड गैरखातेदार स्वीकार है। यह स्वीकार नहीं है कि वादी का कब्जा पूर्व से 5 बीघा पर है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद नं. 2 वाद पत्र स्वीकार नहीं है। मौके पर 83 एयर पर ही कब्जा है। इसलिए बन्दोवस्त विभाग ने मौके के अनुसार सही बनाया है। मौके पर वादी 83 एयर पर ही काबिज है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 3 स्वीकार नहीं है। सरकारी जमीन में वादी का कोई हक नहीं है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 4 स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 5 स्वीकार नहीं है। वादी ने सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इसलिए वादी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 6 इस हद तक स्वीकार है कि सम्मानीय अदालत का क्षेत्राधिकार में अस्वीकार

जबावदावा के मद नं0 7, 8, 9, 10, में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 7, 8, 9, 10 कानूनी हैं।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 11 स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं011 क में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 11क में दर्ज किया है कि वादी के पक्ष में सरकारी जमीन को नहीं किया जा सकता क्योंकि वादी 83 एयर पर काबिज था। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा है।

जबावदावा के मद नं011 ख में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 11ख में दर्ज किया है कि सरकारी जमीन से अतिक्रमी को बेदखल करने से रोकने से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को बढावा मिलेगा। जो न्यायहित में नहीं है।

जबावदावा के मद नं011 ग में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 11ग में दर्ज किया है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया आराजी साबिक खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम बाईजट्ट वादी को दिनांक 21.10.1975 को आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया था। सेटिलमेन्ट में उक्त नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 921 रकबा 083 एयर बना है जबकि 125 एयर होना चाहिए था। – जिम्मे वादी
2. आया वादी वर्तमान में भी पूर्व 5 बीघा अर्थात 125 एयर रकबे पर काबिज दखील होकर काश्त कर रहा है। – जिम्मे वादी
3. आया वादी मात्र 83 एयर पर ही काबिज है। सरकारी जमीन को नहीं दिया जा सकता। – जिम्मे प्रतिवादी

4. दादरसी

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2036–39, नकल जमाबन्दी सं0 2056–59, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सं0 2064–67 पेश किये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

निर्णय तनकी नं01 :– आया आराजी साबिक खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम बाईजट्ट वादी को दिनांक 21.10.1975 को आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया था। सेटिलमेन्ट में उक्त नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 921 रकबा 083 एयर बना है जबकि 125 एयर होना चाहिए था। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2036–39 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी राधे पुत्र तोलू जाति कोली निवासी ग्राम गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 469 मिन रकबा 5 बीघा से दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2056–59 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी राधे पुत्र तोलू जाति कोली सा0देह गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2064–67 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 किस्म नहरी 2 की खातेदारी चारागाह सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम बाईजट्ट वादी सं01 को आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया था तथा मुताविक राजस्व रिकार्ड वह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह तथ्य सही है कि वादी सं01 विवादित आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन का गैरखातेदार काश्तकार था। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट नवीन

खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0 कायम किया गया है। इस प्रकार वादी को सेटिलमेन्ट विभाग ने साबिक रकबा के मुकाबले नवीन रकबा 0.42 है0 कम दिया गया है। वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वादी का कमी रकबा 0.42 है0 किस खसरा नम्बर में बढा दिया गया है, वादी ने अपने वाद पत्र में वादी का कमी रकबा की पूर्ति खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 चारागाह भूमि में से चाही गई है तथा इसी खसरा नम्बर में वादी का कमी रकबा बढा दिया जाना वाद पत्र में अंकित किया है किन्तु इसके समर्थन में वादी ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी का कमी रकबा 0.42 है0 को दौराने सेटिलमेन्ट सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने नवीन खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 में बढा दिया गया हो। इस प्रकार वादीगण अपने कमी रकबा की पूर्ति दस्तावेज के अभाव में कराने का अधिकारी साबित नहीं हैं अर्थात वादी साबिक रकबा के मुकावले नवीन रकबा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं02 :– आया वादी वर्तमान में भी पूर्व 5 बीघा अर्थात 125 एयर रकबे पर काबिज दखील होकर काश्त कर रहा है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे हैं। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम बाईजट्ट वादी सं01 को आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया था तथा मुताविक राजस्व रिकार्ड वह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह तथ्य सही है कि वादी सं01 विवादित आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन का गैरखातेदार काश्तकार था। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0 कायम किया गया है। इस प्रकार वादी को सेटिलमेन्ट विभाग ने साबिक रकबा के मुकाबले नवीन रकबा 0.42 है0 कम दिया गया है। वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वादी का कमी रकबा 0.42 है0 किस खसरा नम्बर में बढा दिया गया है, वादी ने अपने वाद पत्र में वादी का कमी रकबा की पूर्ति खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 चारागाह भूमि में से चाही गई है तथा इसी खसरा नम्बर में वादी का कमी रकबा बढा दिया जाना वाद पत्र में अंकित किया है किन्तु इसके समर्थन में वादी ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी का कमी रकबा 0.42 है0 को दौराने सेटिलमेन्ट सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने नवीन खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 में बढा दिया गया हो। इस प्रकार वादीगण अपने कमी रकबा की पूर्ति दस्तावेज के अभाव में कराने का अधिकारी साबित नहीं हैं अर्थात वादी साबिक रकबा के मुकावले नवीन रकबा प्राप्त करने

का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं03 :– आया वादी मात्र 83 एयर पर ही काबिज है। सरकारी जमीन को नहीं दिया जा सकता। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे हैं। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के वादी सं0 1/1 ता 1/5 गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादीगण जितनी भूमि के वर्तमान में गैरखातेदार हैं उतने भूमि का ही उनका कब्जा काश्त माना जावेगा। इस प्रकार वादीगण मात्र 83 एयर भूमि पर ही काबिज हैं। सरकारी जमीन को बिना दस्तावेजी सबूतों के आधार पर वादीगण की खातेदारी में नहीं दिया जा सकता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी :– उपरोक्त वर्णित सभी तनकीयात का निर्णय बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण हुआ है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम बाईजट्ट वादी सं01 को आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया था तथा मुताविक राजस्व रिकार्ड वह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह तथ्य सही है कि वादी सं01 विवादित आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन का गैरखातेदार काश्तकार था। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0 कायम किया गया है। इस प्रकार वादी को सेटिलमेन्ट विभाग ने साबिक रकबा के मुकाबले नवीन रकबा 0.42 है0 कम दिया गया है। वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वादी का कमी रकबा 0.42 है0 किस खसरा नम्बर में बढा दिया गया है, वादी ने अपने वाद पत्र में वादी का कमी रकबा की पूर्ति खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 चारागाह भूमि में से चाही गई है तथा इसी खसरा नम्बर में वादी का कमी रकबा बढा दिया जाना वाद पत्र में अंकित किया है किन्तु इसके समर्थन में वादी ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी का कमी रकबा 0.42 है0 को दौराने सेटिलमेन्ट सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने नवीन खसरा नम्बर 924 रकबा 3.14 है0 में बढा दिया गया हो। इस प्रकार वादीगण अपने कमी रकबा की पूर्ति दस्तावेज के अभाव में कराने का अधिकारी साबित नहीं हैं अर्थात वादी साबिक रकबा के मुकावले नवीन रकबा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जब वादीगण अपने कमी रकबा की पूर्ति कराने के अधिकारी ही साबित नहीं है तो प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ भी प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार वादीगण अपने दावे को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 921 रकबा 0.83 है0, 924 रकबा 3.14 है0 वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/8/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली